

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अवालिसर - म.प्र. अवालिसर
 नि. प्र. क. 2526-III/2014

वि. सं. 4142-1/14

1. गोवीराम पुत्र बाणा अहिरवार
2. दीपक पुत्र गोवीराम अहिरवार
 निवासी - ग्राम - पधरया तह. राजनगर
 जिला - छतरपुर (म.प्र.)

23

चिकटु

म.प्र. शासन

आवेदन
 आवेदन

24-11-14

दिनांक 24-11-14 को
 दायरा सीमा का
 राज दायरा शाखा
 में किया गया।
 आज दि. 10-12-14

आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 06 निम्न 17 जांच कीं
 वास्तु संशोधन आवेदन पत्र

केवा में आवेदन गण सादर संशोधन आवेदन पत्र
 श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

10-12-14

यह कि श्रीमान के न्यायालय से दिनांक 30-8-2014 को
 आदेश विधित किया गया था, जिसमें तंकणपुर के कारण
 उनमान के पता पर जिला टीकमगढ़ टाइप होगा है।
 जबकि जिला - छतरपुर टाइप होना था।

2. यह कि आदेश दि. 30-8-14 प्र.क. 2526/III/2014 की
 कंडिका 02 की तीसरी लाइन में 734/1 के स्थान पर 734/3
 टाइप किया जाना है।
3. यह कि आदेश के प्र.क. - 02 के कंडिका - 5 की तीसरी
 लाइन में लव कुशनगर लेख है, जबकि तहसीलदार के द्वारा
 लव कुशनगर के स्थान पर राजनगर लेख किया जाना है।
4. यह कि उक्त आदेश में निम्न विदुहों के संशोधन के आदेश
 के अक्षर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आतः विवेदन है कि आवेदन का संशोधन आवेदन
 पत्र स्वीकार आवेदन पत्र में वर्णित कंडिका एक दो तीस का
 संशोधन विधि जांचे का आदेश उदात्त करने की कृपा करें
 सं. म. प्र. क. 2526/III/2014-आदेश दि. 30-8-14 म.प्र. शासन
 अवालिसर द्वारा।

दिनांक - 30-10-2014
 स्थान - अवालिसर/सागर
 बिलकुर -
 1- आदेश दि. 30-8-14 की
 घोषणापत्र
 2- निगम आवेदन पत्र की छाया
 म.प्र. शासन

गोवीराम
 दीपक
 आवेदन / -
 1- गोवीराम अहिरवार
 2- दीपक अहिरवार
 ग्राम - पधरया तह.
 राजनगर जिला छतरपुर
 द्वारा - अहिर.
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

11

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 4142-एक/14

जिला छतरपुर


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

14-1-15

आवेदक अधिवक्ता श्री एस0पी0धाकड उपस्थित ।
उन्हें अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 वास्ते संशोधन
आवेदन पत्र पर सुना गया जिसमें उनके द्वारा बताया कि इस
न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2526-तीन/2014 में पारित
आदेश दिनांक 30-8-2014 का अवलोकन किया गया ।
उक्त आदेश के उन्मान में आवेदक क्रमांक 2 में लिपिकीय
त्रुटिवश जिला टीकमगढ़ टंकित हो गया है जबकि उसे
जिला छतरपुर पढ़ा जाये । इसी प्रकार आदेश दिनांक
30-8-2014 के पृष्ठ 2 की कंडिका 5 की तीसरी लाईन में
लिपिकीय त्रुटिवश लवकुशनगर टंकित हो गया है जबकि
उसे राजनगर पढ़ा जाये । यह आदेश, आदेश दिनांक
30-8-2014 का भाग माना जायेगा ।


प्रशासकीय सदस्य